139

न्यायालय माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र. सर्किट कोर्ट रीवा म.प्र.

20 COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

20 COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

Rs. 401—

R 5156 III/16

सुभाष दुबे पिता शारदा प्रसाद दुबे उम्र 45 वर्ष लगभग पेशा नौकरी निवासी स्टेशन चौराहा के पास उमरिया थाना उमरिया तह. बांधवगढ़ जिला उमरिया म.प्र.

..........................निगरानीकर्ता

बनाम्

1— अब्दुल सलाम पिता फकीर मोहम्मद निवासी खलेशर रोड उमरिया म.प्र.।

2— राजभान द्विवेदी पिता सुरेश द्विवेदी धौडा कॉलोनी उमरिया म.प्र.।

3— शा.म.प्र. जरिये जिलाध्यक्ष महोदय उमरिया जिला उमरिया म.प्र.

...................गैरनिगरानीकर्तागण

श्री सन्तोष मिश्रा, एडवोकेट द्वारा आज दिनांक 28-3-16 को प्रस्तुत किया गया।
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरूद्ध निर्णय व आदेश अपर आयुक्त दिनांक 28.01.2016 जरिये प्र.क. 1/अपील 2015—16

अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित हैं —

1— यह कि निर्णय एवं आदेश अधीनस्थ न्यायालय विधि प्रक्रिया एवं साक्ष्यो के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

2— यह कि अधी. न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार नहीं किया कि अनावेदक अब्दुल सलाम को शासकीय भूमि से बेदखली के उपरांत उसके षणयंत्र से अना. क्र. 2 को मौके पर शासकीय भूमि से बेदखल किया जाते समय राजस्व कनिष्ट कर्मचारियों की मिली भगत से कब्जा दखल अवैधानिक रूप से राजभान द्विवेदी को दे दिया गया है के संबंध में की गई अवैधानिक अनियमित एवं बिना किसी कानूनी आधार के कब्जे को मात्र निर्णय में यह वर्णित कर तह. महोदय के आदेश दिनांक 14.09.2012 के अनुसार आवेदक राजभान द्विवेदी के विरूद्ध पृथक से रिपोर्ट प्राप्त करने की आज्ञा प्रसारित की है जो कानूनन की गई अवैध कार्यवाही को मान्य करने में कानूनी भूल की गई है। जिससे निर्णय निरस्त किए जाने योग्य है।

3— यह कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा शासकीय भूमि से बेदखल किए जाने के बाद अब्दुल सलाम पिता फकीर मोहम्मद से दुरभि संधि कर अनावेदक राजभान

........2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक 5156–दो/2016 निगरानी जिला उमरिया

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15-09-17	यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 1/2015–16 अपील में पारित आदेश दिनांक 28–1–16 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के तहत प्रस्तुत हुई है। आवेदक के अभिभाषक को निगरानी की प्रचलनशीलता पर पूर्व पेशी पर सुना जा चुका है। प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। 2/ आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को पर विचार करने तथा उपलब्ध अभिलेख के साथ अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के आदेश दिनांक 28–1–16 के अवलोकन से परिलक्षित है कि अपर आयुक्त ने आदेश के अंतिम पद में इस प्रकार निष्कर्ष दिया है – **" अतः अपीलार्थी व्दारा प्रस्तुत अपील स्वीकार किया जाता है एंव अनुविभागीय अधिकारी बांधवगढ़ का आदेश दिनांक 31–3–2015 निरस्त किया जाता है तथा नजूल तहसीलदार उमरिया का आदेश दिनांक 14–9–2012 स्थिर रखा जाता है। पक्षकार सूचित हों। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख आदेश की प्रति के साथ वापस भेजा जावे। वाद कार्यवाही प्रकरण नस्ती होकर अभिलेख कोष में संचित हो। तहसीलदार के आदेश दिनांक 14–9–12 अनुसार राजभान द्विवेदी के विरूद्व प्रथक से रिपोर्ट प्राप्त की जावे। "** उक्त का तात्पर्य यह है कि तहसील न्यायालय में कार्यवाही होना है जहॉ पक्षकारों को अपना पक्ष रखने/ साक्ष्य प्रस्तुत करने का उपचार प्राप्त है जिसके कारण अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा व्दारा प्रकरण कमांक 1/2015–16 अपील में पारित आदेश दिनांक 28–1–16 में विसंगति दिखाई नहीं देती है। फलतः निगरानी सारहीन पाये जाने से अमान्य की जाती है। सदस्य	